चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी0ए0/3870
दिनांक : 05.08.2021

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव/निदेशक
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

विषयः– महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय एवं शासन स्तर से निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूलने के सम्बन्ध में

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को कतिपय महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क की वसूली के सम्बन्ध में छात्र/छात्राओं द्वारा मा0 कुलपति जी एवं अधोहस्ताक्षरी को शिकायतें प्राप्त हो रही है जो कि अत्यन्त खेद का विषय है।

उक्त के क्रम में मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क न लिया जाय। यदि किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा उक्त आदेशों का पालन नही किया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय/संस्थान के विरूद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–1973 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/सचिव का होगा।

भवदीय,
05-08-2021
कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. वैयक्तिक सहायक प्रति–कुलपति को प्रति–कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
03. प्रेस प्रवक्ता, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
04. प्रभारी वेबसाइट, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

कुलसचिव